राम नाथ बनाम रमेश, आदि (जस्टिस तुली)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

नागरिक विविध

बल राज तुली और राजेंद्र नाथ मित्तल के समक्ष

याचिकाकर्ता - डॉ. के. एल. जौरा

बनाम

प्रतिवादी - पंजाब विश्वविद्यालय आदि

1972 की सिविल रिट संख्या 3658

25 मई 1973.

पंजाह विश्वविद्यालय अधिनियम (1947 का VII)-धारा 13(2), 31(2)(ए) और 38-पंजाह विश्वविद्यालय कैलेंडर (972)-खंड I, अध्याय II-बी, विनियम 17.2, 17.3 और 23-विनियम 17.2 और 17.3–क्या अधिनियम की धारा 31 और 38 अधिकारातीत हैं–धारा 13(2) चांसलर को सीनेटर के चुनाव की मंजूरी रोकने के लिए अधिकृत करती है, क्या दिशानिर्देश के अभाव में अधिकारातीत है।

माना गया कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 की धारा 38 और पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर 1972 खंड I अध्याय II-बी के विनियम 17.2 और 17.3 को पढ़ने से पता चलता है कि दो समानांतर मशीनरी प्रदान की गई हैं। एक अधिनियम द्वारा

और दूसरा सीनेट के सदस्यों के चुनाव के संबंध में विवादों पर निर्णय लेने के लिए नियमों द्वारा। पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम 1947 की धारा 31 की उप-धारा (2) का खंड (ए) सरकार की मंजूरी से सीनेट को साधारण फेलो के चुनाव कराने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। इस खंड के तहत सीनेट चुनाव कराने के लिए नियम बना सकती है, न कि उसे रद्द करने के लिए, लेकिन विनियम 17.2 और 17.3 समिति को सीनेट के सदस्य के चुनाव को रद्द करने का अधिकार देते हैं जो स्पष्ट रूप से विनियमन में प्रदत्त शक्तियों से अधिक हैं। निर्माण प्राधिकारी चुनाव से संबंधित विवादों को अधिनियम की धारा 38 के तहत कुलाधिपति के पास भेजा जाना चाहिए जो ऐसे विवादों पर निर्णय लेने का एकमात्र प्राधिकारी है। किसी फेलो के चुनाव के संबंध में विवाद उठाने वाली चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए कोई अन्य मंच बनाने के लिए कोई विनियमन नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, ये विनियम स्पष्ट रूप से विनियमन बनाने वाले प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों से अधिक हैं और इसलिए अधिनियम की धारा 31 और 38 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

माना गया कि अधिनियम में ऐसा कोई मानदंड नहीं दिया गया है जिसके तहत कुलाधिपति एक साधारण फेलो के चुनाव की मंजूरी रोक देता है। लेकिन विनियम 20 में यह प्रावधान है कि वोटों की विधिवत गिनती होने के बाद। रिटर्निंग ऑफिसर विनियम 23 के तहत चांसलर की मंजूरी के अधीन चुने गए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा। विनियम 23 के तहत चांसलर, यह तय करते समय कि क्या अनुमोदन रोक दिया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि निर्वाचित व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। विश्वविद्यालय से लाभ. इस प्रकार चांसलर द्वारा निर्वाचित सीनेटर की मंजूरी को रोकने के लिए कैलेंडर के विनियम 23 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है और इसलिए अधिनियम की धारा 13(2) अधिकारातीत नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/221 के तहत याचिका, याचिकाकर्ता के चुनाव की मंजूरी को स्थगित रखने और कुलाधिपति के आदेश के संबंध में संचार को स्थगित रखने के संबंध में कुलाधिपति के आदेश को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए याचिका (अनुलग्नक 'ए') और चुनाव समिति के समक्ष कार्यवाही को रद्द करना और चुनाव समिति को चुनाव याचिका के परीक्षण के साथ

आगे नहीं बढ़ने का निर्देश देना और याचिकाकर्ता को बैठक में बैठने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को निर्देश देना। सिंडिकेट की बैठक 25 नवंबर, 1972 को हुई और याचिकाकर्ता को दिसंबर, 1972 में होने वाली नई सीनेट की पहली बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई और चांसलर को याचिकाकर्ता के चुनाव को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया।

प्रतिवादी 1-3 और 5 के लिए अधिवक्ता बी.एस. बिंद्रा, श्रीमती सुरजीत बिंद्रा और जे.सी. वर्मा और कुलदीप सिंह अधिवक्ता।

आर.एस. मोंगिया, वकील, प्रतिवादी 4 के लिए। (सरूप सिंह, वकील उनके साथ)।

निर्णय

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

याचिकाकर्ता जस्टिस मित्तल रसायन विज्ञान में रीडर हैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विभाग (इसके बाद 'विश्वविद्यालय' के रूप में जाना जाता है) जबकि प्रतिवादी संख्या 4 एक है विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के व्याख्याता प्रो. विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम 1947 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 8 के तहत एक कॉर्पोरेट निकाय है। अधिनियम सीनेट विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी है जो

इसमें अन्य लोगों के अलावा अधिनियम की धारा 13 के तहत और नियमों के अनुसार चुने जाने वाले साधारण अध्येता भी शामिल हैं । अधिनियम की धारा 31 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया। अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के कर्मचारियों में से पाठकों और व्याख्याताओं द्वारा दो सामान्य अनुयायी चुने जाते हैं। सीनेट के चुनाव 12 सितंबर 1972 को हुए थे याचिकाकर्ता और श्री विश्व नाथ तिवारी को निर्वाचित घोषित किया गया पंजाब विश्वविद्यालय के अध्याय 11(बी) के विनियम 20 के तहत कैलेंडर 1972 खंड । (इसके बाद इसे 'कैलेंडर' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। श्री एस. पी. चोदा प्रतिवादी संख्या 4 जिन्होंने इसके खिलाफ चुनाव लड़ा था याचिकाकर्ता और रेगुलेशन के तहत चुनाव याचिका दायर कर हार गया था कैलेंडर के अध्याय ॥(बी) में निहित विनियमों में से 17 कुलपति श्री नरिंदर सिंह और श्री जी.एल. चोपड़ा की समिति के समक्ष। उस याचिका में आपत्ति है इसे केवल वोटों की गिनती के तौर पर लिया गया था और भ्रष्ट आचरण या किसी अवैधता का कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया था याचिकाकर्ता

के खिलाफ किया गया। उन्हें 31 अक्टूबर, 1972 को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से एक पत्र (अनुलग्नक 'ए' की प्रति) प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि एक साधारण फेलो के रूप में उनके चुनाव की मंजूरी को कुलाधिपति के आदेशों के तहत समिति तक स्थगित रखा गया था। चुनाव याचिका पर फैसला सुनाया था. याचिकाकर्ता ने कुलाधिपति के आदेश की प्रति की आपूर्ति के लिए 11 नवंबर 1972 को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा था ताकि वह इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें, लेकिन उन्होंने (रजिस्ट्रार) - 14 नवंबर को अपने पत्र के माध्यम से कहा। 1972, ने उन्हें सूचित किया कि 31 अक्टूबर, 1972 के पत्र में जो पहले ही कहा गया था, उसमें जोड़ने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है। पत्र (अनुलग्नक 'ए') का उद्देश्य याचिकाकर्ता को किसी भी संकाय में नियुक्त होने से रोकना था। और उसके बाद उसे सिंडिकेट के लिए चुने जाने से रोका जाए। चुनाव समिति के समक्ष कार्यवाही और चांसलर के आदेश को रिट-याचिकाकर्ता ने इस आधार पर चुनौती दी है कि वे अवैध, शून्य, अधिकार क्षेत्र के बिना और दुर्भावनापूर्ण हैं।

(2) उत्तरदाताओं ने याचिका का विरोध किया है और याचिकाकर्ता के आरोपों से इनकार किया है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का पहला तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 38 में यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के संविधान से संबंधित सभी विवादों को निर्णय के लिए कुलाधिपति को भेजा जाना है। इसलिए, सीनेट के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए चांसलर एकमात्र प्राधिकारी है और अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा कोई उप समिति का गठन नहीं किया जा सकता है। कैलेंडर के अध्याय 11(बी) के विनियम 17.1, 17.2 और 17.3 के प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों से परे हैं, जहां तक □□ □□□□□□□□ को चुनाव याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए अधिकृत करते हैं।

(4) तर्क की सराहना करने के लिए, अधिनियम और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं: -

"अधिनियम की धारा 31(1) एवं (2)(ए)

(1) सीनेट, सरकार की मंजूरी से, समय-समय पर, विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है,

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित प्रदान कर सकते हैं-

(ए) साधारण अध्येताओं के किसी भी चुनाव को आयोजित करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

अधिनियम की धारा 35.

विश्वविद्यालय के कुलपति, अध्येताओं या रजिस्ट्रार की सभी नियुक्तियाँ, या उन्हें रद्द करना, इसके द्वारा प्रदान की गई सभी डिग्रियाँ, डिप्लोमा, उपाधियाँ, लाइसेंस और इसके द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 38.

यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित या नियुक्त किया गया है, या होने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

विनियम:

17.1. विनियम 16.1 और 16.2 में उल्लिखित रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के ध्यान में लाए गए मामलों के संबंध में एक याचिका और चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से किसी भी बिंदु पर एक याचिका चुनाव की घोषणा के 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास पहुंच जानी चाहिए। 50 रुपये की सुरक्षा जमा राशि के साथ परिणाम, चुनाव याचिका खारिज होने पर राशि जब्त कर ली जाएगी: -

(ए) विनियमों में निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में पीठासीन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की कथित विफलता;

(बी) पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोट की गोपनीयता का उल्लंघन किए जाने के संबंध में आरोप;

(सी) चुनाव में किसी भी पार्टी द्वारा स्वयं या उसके एजेंटों द्वारा, संबंधित पार्टी की जानकारी के साथ या उसके बिना, किसी भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के संबंध में आरोप।

17.2. विनियम 17.1 के तहत एक याचिका की सुनवाई हर साल सिंडिकेट द्वारा नियुक्त कुलपति और दो अन्य सदस्यों वाली एक समिति द्वारा की जाएगी। समिति स्वत: संज्ञान लेकर ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती

है जिसका साक्ष्य उसे महत्वपूर्ण लगे। अपनी कार्यवाही के समापन पर, समिति एक आदेश देगी: -

(ए) चुनाव याचिका खारिज करना; या

(बी) सभी या किसी एक के चुनाव की घोषणा करना अभ्यर्थी शून्य होंगे।

17.3. कुलपति इस कमेटी के पदेन अध्यक्ष होंगे। यदि मतभेद हो तो बहुमत का निर्णय मान्य होगा। दो सदस्य कोरम से होंगे। यदि केवल दो सदस्य उपस्थित हों और इस फैसले को लेकर उनके बीच मतभेद है कुलपति की राय प्रबल होगी या उसकी अनुपस्थिति में मामला कुलपति को भेजा जाएगा और उनका निर्णय मान्य होगा। जैसा भी मामला हो, समिति या कुलपति का अंतिम और मान्य होगा।

(5) अधिनियम की धारा 13 साधारण अध्येताओं से संबंधित है। धारा 14 पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुने गए साधारण अध्येताओं के संबंध में है और धारा 15 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसी तारीखों पर जो कुलाधिपति इस संबंध में नियुक्त कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो श्रेणियों द्वारा चुने गए साधारण अध्येताओं के बीच किसी भी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव होगा। धारा 13 की उपधारा (I) के खंड (बी),

(सी), (डी), (ई), (एफ) और (एच) के तहत उल्लिखित है। कैलेंडर के अध्याय 11(बी) के विनियम । से 16.2 तक चुनाव कराने और रिटर्निंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के समक्ष आपत्तियां दाखिल करने से संबंधित हैं। चुनाव को रद्द करने के लिए एक याचिका विनियम 17.1 के तहत दायर की जाती है और इसकी सुनवाई हर साल सिंडिकेट द्वारा नियुक्त कुलपति और दो अन्य सदस्यों वाली समिति द्वारा की जाती है। समिति को ऐसे किसी भी व्यक्ति की जांच करने की शक्ति दी गई है जिसका साक्ष्य उसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। कार्यवाही के समापन पर, यह चुनाव याचिका को खारिज कर सकता है या सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवारों के चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है। विनियम 17.3 के आधार पर, कुलपति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। उसमें यह भी प्रावधान है कि यदि मतभेद हो तो बहुमत का निर्णय मान्य होगा। आगे यह प्रावधान है कि दो सदस्य कोरम का गठन करेंगे और यदि केवल दो सदस्य उपस्थित हैं और उनके बीच मतभेद है तो कुलपति का निर्णय मान्य होगा या उनकी अनुपस्थिति में मामला कुलपति को भेजा जाएगा- चांसलर और उनका निर्णय मान्य होगा । यह भी कहा गया है कि समिति या कुलपति का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम और बाध्यकारी होगा। विनियम 20 कहता है कि वोटों की विधिवत गिनती के बाद रिटर्निंग ऑफिसर उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा जो विनियम 23 के तहत चांसलर

की मंजूरी के अधीन चुने गए हैं। अधिनियम की धारा 38 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या होने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। अधिनियम की धारा 38 के तहत कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के उचित चुनाव या नियुक्ति से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। धारा 38 और विनियम 17.2 और 17.3 को पढ़ने से पता चलता है कि सीनेट के सदस्यों के चुनाव के संबंध में विवादों पर निर्णय लेने के लिए दो समानांतर मशीनरी प्रदान की गई हैं, एक अधिनियम द्वारा और दूसरी विनियमों द्वारा। अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) का खंड (ए) सरकार की मंजूरी से सीनेट को साधारण अध्येताओं के चुनाव कराने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। उपरोक्त खंड से पता चलता है कि सीनेट साधारण अध्येताओं के चुनाव कराने के लिए नियम बना सकती है, न कि चुनावों को रद्द करने के लिए विनियम 17.2 और 17.3 समिति को सीनेट के एक सदस्य के चुनाव को रद्द करने का अधिकार देते हैं जो स्पष्ट रूप से विनियमन बनाने वाले प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों से अधिक है। धारा 31 के तहत चुनाव कराने के लिए नियम बनाए जा सकते

हैं, न कि चुनाव रद्द करने के लिए। अधिनियम ने ऐसे विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति चांसलर को दी है और कोई अन्य प्राधिकारी नियमों के तहत ऐसा नहीं कर सकता है। गणपति सिंहजी बनाम अजमेर राज्य और अन्य(1) मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य के फैसले से मुझे उपरोक्त टिप्पणियों का समर्थन प्राप्त है। उस मामले में अजमेर कानून विनियमों के तहत बनाए गए उप-नियम (1) से (4) की शर्तों को चुनौती दी गई थी। विनियमों की धारा 40 के तहत मुख्य आयुक्त को अन्य बातों के अलावा मेलों और अन्य बड़ी सार्वजनिक सभाओं में संरक्षण और स्वच्छता की उचित प्रणाली की स्थापना के बारे में नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। मुख्य आयुक्त ने उपरोक्त प्रावधानों के तहत नियम बनाये नियम 1 के पहले तीन उप-नियम परमिट से संबंधित हैं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए परमिट के अलावा मेले के आयोजन पर रोक लगाते हैं, जिन्हें किसी भी परमिट को जारी करने से पहले खुद को संतुष्ट करने का आदेश दिया गया था कि आवेदक एक उचित प्रणाली स्थापित करने की स्थिति में है। मेले में सफ़ाई, स्वच्छता और निगरानी की व्यवस्था। जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि विनियमन ने मुख्य आयुक्त को संरक्षण और स्वच्छता की प्रणाली की स्थापना के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया था और

(1) ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 188.

राम नाथ बनाम रमेश, आदि (जस्टिस तुली)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

मेले में संरक्षण और स्वच्छता और निगरानी और वार्ड के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के लिए अधिकृत करने वाला कोई नियम नहीं बना सका। जस्टिस बोस ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस प्रकार कहा: -

"विनियमन मुख्य आयुक्त को संरक्षण और स्वच्छता की प्रणाली की स्थापना के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। वह ऐसा केवल एक प्रणाली को अस्तित्व में लाकर और उसे अपने नियमों में शामिल करके ही कर सकता है ताकि सभी संबंधित लोग जान सकें कि प्रणाली क्या है और इसके अनुपालन के लिए व्यवस्था करें। उन्होंने जो किया है वह यह देखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया है कि मेला आयोजित करने के इच्छुक व्यक्ति संरक्षण आदि की उचित प्रणाली स्थापित करने की स्थिति में हैं, लेकिन इसके अनुसार कौन यह निर्धारित करेगा कि एक उचित प्रणाली स्पष्ट रूप से क्या है जिला अधिकारी। इसलिए वास्तव में नियम जिला मजिस्ट्रेट को अपनी स्वयं की प्रणाली बनाने और यह देखने का अधिकार देते हैं कि इसका पालन किया जाए। लेकिन विनियमन यह शक्ति मुख्य आयुक्त को प्रदान करता है, न कि जिला मजिस्ट्रेट को, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार सौंपने में मुख्य आयुक्त की कार्रवाई अधिकारातीत है।"

(6) मोहम्मद हुसैन गुलाम मोहम्मद और अन्य बनाम राज्य ओजे बॉम्बे और अन्य (2) बॉम्बे कृषि उपज बाजार अधिनियम 1939 की संवैधानिकता और उसके तहत बनाए गए नियमों को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी जो अहमदाबाद के व्यवसायी थे। धारा 5-ए के तहत राज्य में स्थापित होने पर बाज़ार मार्केट कमेटी को व्यापारियों, कमीशन एजेंटों, दलालों, तोल, माप, सर्वेक्षकों, गोदामों और अन्य व्यक्तियों को संचालन के लिए नियमों के अनुसार लाइसेंस देने की शक्ति दी जाती है। धारा 5-एए के तहत, उस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होने पर उसमें एक बाजार स्थापित करना बाजार समिति का कर्तव्य बन जाता है। उपरोक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 65 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति उस नियम के तहत बाजार समिति द्वारा दिए गए लाइसेंस के अलावा किसी भी बाजार क्षेत्र में कृषि उपज में व्यापारी या सामान्य कमीशन एजेंट के रूप में व्यापार नहीं करेगा। तर्क यह था कि नियम धारा 5-ए के प्रावधानों से परे है, जिसमें कहा गया है कि जहां धारा 5-एए के तहत एक बाजार स्थापित किया गया है, वहां बाजार समिति व्यापारियों और कमीशन एजेंटों को नियमों के अनुसार लाइसेंस

(2) ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 97.

जारी कर सकती है। जहां तक [illegible] देने का सवाल है, प्रावधान धारा 4(2) में पाया जाता है और किसी भी बाजार क्षेत्र में व्यापार के लिए आयुक्त को न कि बाजार समिति को बाजार की स्थापना से पहले लाइसेंस देने की शक्ति दी जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य में यह देखा गया कि धारा 5-ए के तहत लाइसेंस देने की बाजार समिति की शक्ति केवल बाजार स्थापित होने के बाद ही उत्पन्न होती है और बाजार में संचालन तक ही सीमित है। आगे यह देखा गया कि नियम 65 जब बाजार समिति को किसी भी बाजार क्षेत्र में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने के लिए अधिकृत करता है तो वह धारा 5-ए द्वारा बाजार समिति को प्रदत्त शक्ति से परे जाता है और प्रावधान के तहत आयुक्त की शक्ति पर जोर देता है। धारा 4 की उप-धारा (2)। परिणामस्वरूप नियम को धारा 4(2) के परंतुक के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 5-ए के प्रावधानों के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया गया। नियम 67 ने समिति को बाजार क्षेत्र में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने की शक्ति दी और ऐसे लाइसेंस के बिना व्यापार करने पर रोक लगा दी। उपरोक्त नियम को भी रद्द कर दिया गया और यह देखा गया कि इरादा नियम 65 और 67 के तहत लाइसेंस जारी करने को बाजारों तक ही सीमित

रखना था, जिसे करने की शक्ति बाजार समिति के पास थी, जहां धारा 5-ए के तहत बाजार स्थापित किया गया था; लेकिन मसौदा तैयार किए गए दो नियम बाजार क्षेत्र को संदर्भित करते हैं, न कि बाजार को और इसलिए इसे धारा 5-ए के तहत बाजार समिति को दी गई शक्ति से परे माना जाना चाहिए। इसी प्रस्ताव के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने डी.टी.यू. प्रबंधन बनाम श्री बी.बी.एल. पर भी भरोसा जताया। हाजेले और अन्य (3) दया कृष्णन बनाम निर्धारण प्राधिकारी-सह-उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी (प्रवर्तन) फिरोजपुर और अन्य (4) श्री बिश्वेश्वर बनाम राजस्व बोर्ड राजस्थान और अन्य (5) सेंट्रल कर्नाटक मोटर सर्विसेज लिमिटेड बनाम राज्य मैसूर और दूसरा (6) मनेपल्ली वेंकटनारायण, मालिक, श्रीमान/श्रीमती वेंकटेश्वर इलेक्ट्रिकल राइस मिल्स, एलुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और दूसरा (7) भारत संघ और अन्य बनाम श्रीमान/श्रीमती नवीन भारत और अन्य (8),

(3) 1973 एस. एल. जे. 19 (एस.सी.)

(4) ए. आई. आर. 1966 पंजाब 490.

(5) ए. आई. आर. 1956 राज. 101.

(6) ए. आई. आर. 1957 मैसूर 7.

(7) ए. आई. आर. 1960 ए. पी. 171.

(8) 1972 पी. एल. आर. 203 (दिल्ली सेक्शन)

मुंशा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (9) और आत्म प्रकाश मोहन पुत्र श्री वीर भान और अन्य बनाम कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र अपने रजिस्ट्रार और अन्य के माध्यम से (10)।

(7) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि यदि अधिनियम के दो प्रावधानों के बीच कुछ विरोधाभास है तो उनकी व्याख्या सामंजस्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए ताकि दोनों प्रावधान एक साथ मौजूद रह सकें। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य (11) पर भरोसा जताया है, जिसमें यह देखा गया था कि यह निर्माण का एक प्रमुख नियम है कि जब किसी क़ानून में दो प्रावधान होते हैं एक-दूसरे के साथ ऐसा टकराव कि दोनों टिक न सकें, यदि संभव हो तो उनकी ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए कि दोनों पर प्रभाव डाला जा सके और ऐसा निर्माण जो दोनों में से किसी एक को निष्क्रिय और बेकार बना दे, उसे अंतिम

(9) 1960 पी. एल. आर. 1 (एफ.बी.)

(10) 1970 एस. एल. आर. 16.

(11) ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661.

उपाय के अलावा नहीं अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने एम. पेंटिया और अन्य बनाम मुद्दला वीरमल्लप्पा और अन्य (12) पर भी भरोसा किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने इसी तरह की टिप्पणियां की थीं। उपरोक्त मामलों में दिए गए प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि क्या उपरोक्त टिप्पणियाँ वर्तमान मामले में लागू होती हैं। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि चुनाव की प्रक्रिया उस समय से शुरू होती है जब नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है और अधिनियम की धारा 35 के तहत अंतिम अधिसूचना प्रकाशित होने तक जारी रहती है। उनका कहना है कि अधिनियम की धारा 38 सीनेटरों के चुनाव के संबंध में अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ही लागू होगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब तक अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है, तब तक चुनाव पूरा नहीं हुआ है, इसे विनियमों के तहत चुनौती दी जा सकती है और समिति द्वारा विनियम 17.2 और 17.3 के तहत निर्णय दिया जा सकता है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के अनुसार, दो प्रावधान, अर्थात् अधिनियम की धारा 38 और विनियम 17.2 और 17.3, दो अलग-अलग चरणों में लागू हुए और इसलिए, विनियम 17.2 और 17.3 अधिकारातीत नहीं हैं। श्री कुलदीप सिंह ने यह भी आग्रह किया है कि चुनाव में खड़ा होना कोई नागरिक

(12) (1961) 2 एस. सी. आर. 295.

अधिकार नहीं है, बल्कि एक क़ानून द्वारा बनाया गया अधिकार है और यह इसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन है। उनके अनुसार सीनेटरों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों की जांच, निर्धारण और प्रावधान करना विधायिका का अधिकार है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नामाखल निर्वाचन क्षेत्र, नामाखल, सलेम जिला, और अन्य (13) पर भरोसा जताया है। हमारी राय में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के तर्क में कोई दम नहीं है। सीनेटर के चुनाव में वोटों की विधिवत गिनती के बाद चुनाव पूरा हो गया है। अधिनियम की धारा 35 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन को चुनाव का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। चुनाव से संबंधित विवादों को अधिनियम की धारा 38 के तहत कुलाधिपति के पास भेजा जा सकता है, जो ऐसे विवादों पर निर्णय लेने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों के मद्देनजर, फेलो के चुनाव के संबंध में विवाद या विवादों को उठाने वाली चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक और मंच बनाने के लिए कोई विनियमन नहीं बनाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ए) के तहत, विनियमन बनाने वाले प्राधिकरण को चुनावों को रद्द करने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। हमारे विचार में, विनियम 17.2 और 17.3

(13) ए. आई. आर. **1952** एस. सी. 64.

अधिनियम की धारा 31 और 38 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह है कि कुलाधिपति के पास अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत याचिकाकर्ता की मंजूरी रोकने की कोई शक्ति नहीं है। उनका आगे तर्क है कि अधिनियम में कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं किया गया है जिसके द्वारा चांसलर अनुमोदन रोक सकता है और इसलिए, धारा 13 की उप-धारा (2) अधिकारातीत है। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) इस प्रकार है:-

"13(2) किसी भी साधारण फेलो का चुनाव कुलाधिपति के अनुमोदन के अधीन होगा।"

(9) अधिनियम में कोई मानदंड नहीं दिया गया है जिसके तहत कुलाधिपति इस तरह की मंजूरी रोक देगा। विनियम 20 में प्रावधान है कि वोटों की विधिवत गिनती के बाद, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा, जो विनियम 23 के तहत चांसलर की मंजूरी के अधीन है। विनियम 23 उन परिस्थितियों को बताता है जिनमें अनुमोदन को रोका जा सकता है। उपरोक्त विनियम इस प्रकार है:-

"एक साधारण फेलो का चुनाव कुलाधिपति की मंजूरी के अधीन होगा। अनुमोदन देने से पहले कुलाधिपति को इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि निर्वाचित व्यक्ति को (ए) सस्ते नोट्स, गाइड या सहायता पुस्तकों के प्रकाशन, (बी) पुस्तकों की छपाई, प्रकाशन या बिक्री के माध्यम से विश्वविद्यालय से आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं है। या विश्वविद्यालय के छात्रों या उसके किसी भी पाठ्यक्रम के उपयोग के लिए, (सी) विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध या (डी) विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य का निष्पादन।

(10) उपरोक्त विनियमों को पढ़ने से पता चलता है कि चांसलर, यह निर्णय लेते समय कि अनुमोदन को रोक कर रखा जाना चाहिए या नहीं, इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि निर्वाचित व्यक्ति को विश्वविद्यालय से आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं है। चांसलर द्वारा निर्वाचित सीनेटर की मंजूरी रोकने के लिए विनियमन 23 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। वर्तमान मामले में, मंजूरी रोकते समय, याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार द्वारा सूचित किया गया था कि उसके चुनाव की मंजूरी को कुलाधिपति के आदेश के तहत विनियमन 42 (अध्याय II-बी) के तहत सिंडिकेट द्वारा नियुक्त समिति तक स्थगित रखा गया था। पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड I, 1971 के पृष्ठ 123-24 पर पंजाब

विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वनस्पति विज्ञान विभाग के श्री एस. कैलेंडर के अध्याय II-बी के विनियम 17.1, 17.2 और 17.3 के साथ समान सामग्री। कुलाधिपति को रजिस्ट्रार के पत्र, दिनांक 31 अक्टूबर, 1972 (अनुलग्नक 'ए') में बताए गए आधार पर अनुमोदन रोकने का कोई अधिकार नहीं था। इन परिस्थितियों में, हमारे विचार से, कुलाधिपति द्वारा अवैध रूप से अनुमोदन रोक दिया गया है जो वह नहीं कर सकते। हमारी यह भी राय है कि धारा 13 की उप-धारा (2) अधिकारेतर नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है। यदि कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन को रोका नहीं जा सकता है, तो उनके पास अधिनियम की धारा 35 के तहत याचिकाकर्ता के नाम को अधिसूचित नहीं करने का कोई आधार नहीं है जो कि केवल एक औपचारिकता है।

(11) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम इस याचिका को लागत सहित स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि कैलेंडर के अध्याय II-बी के विनियम 17.2 और 17.3 अधिनियम के दायरे से बाहर हैं और कुलाधिपति, प्रतिवादी संख्या 2 के आदेश को रद्द करते हैं, जिसे सूचित किया गया है। रजिस्ट्रार द्वारा याचिकाकर्ता, अपने पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 1972 (अनुलग्नक 'ए')। वकील की फीस रु. 200.

राम नाथ बनाम रमेश, आदि (जस्टिस तुली)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा